

# छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने मध्यप्रदेश से लाए जाएंगे बाघ

**मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में किया गया प्रस्तावों का अनुमोदन**

**वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वनों की 10 किलोमीटर की परिधि के गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा**

**वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने के प्रस्तावों को मिली मंजूरी**

**हाथी मानव द्वंद टोकने जागरूकता अभियान को गति देने के निर्देश**

**वन्य प्राणियों के लिए पानी और चारागाह विकसित करने पर बल**

## बारनवापारा अभ्यारण्य फिर बनेगा बाघों का रहवास, अभ्यारण्य में छोड़े जाएंगे टायगर

रायपुर (आरएनएस) | छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश से बाघ लाए जाएंगे। जिन्हें अचानकमार टायगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ बारनवापारा अभ्यारण्य में भी बाघों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के चलते टायगर छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण, वन्य प्राणी मानव द्वंद टोकने के अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक मती संगीता सिन्हा और डॉ. लक्ष्मी ध्रुव बैठक में उपस्थित थीं।



मुख्यमंत्री बघेल ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वनों की 10 किलोमीटर की परिधि के गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, हाथी मानव द्वंद टोकने जागरूकता अभियान को गति देने और वन्य प्राणियों के लिए पानी और चारागाह विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में इनसे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए ग्लोबल टायगर फोरम (जीटीएफ) द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिसके क्रियान्वयन की अनुमति बैठक में दी गई। जिसके तहत अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघ मध्यप्रदेश से लाकर छोड़े जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि अचानकमार टायगर रिजर्व में वन्य प्राणियों के लिए जल स्रोतों, चारागाह को विकसित किया गया है, जिससे शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में

बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में फिर से टायगरों को पुनस्थापित करने के लिए टायगर छोड़ने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बारनवापारा अभ्यारण्य में वर्ष 2010 तक टायगर पाए जाते थे। टायगर रि-इंट्रोडक्शन एवं टायगर रिकवरी प्लान के तहत ख्याति प्राप्त वन्यप्राणी संस्थान से हैबिटेड सुटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त होने के बाद इस अभ्यारण्य में बाघ पुनस्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि शाकाहारी वन्य प्राणियों को विभिन्न प्रजनन केंद्रों एवं अन्य स्थानों से लाकर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिक रहवास में छोड़ा गया है। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 49 चीतल, बारनवापारा अभ्यारण्य में 39 काला हिरण, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 113 चीतल, अचानकमार टायगर रिजर्व में 20 चीतल, तमोर पिंगला अभ्यारण्य में 14 चीतल विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के नैसर्गिक रहवास में शाकाहारी वन्यप्राणियों को छोड़ा गया है। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में हाथियों के लिए चारागाह, पानी आदि की व्यवस्था करने से हाथी मानव द्वंद की घटनाओं में काफी कमी हुई है। लगभग 11 हजार 314 हेक्टेयर चारागाह विकसित किए गए हैं। लगभग 80 हजार हेक्टेयर में खाद्य घास की प्रजातियां लगाई गई हैं। वन्यप्राणियों के पेयजल के लिए 12 स्टॉप डेम, 40 तालाब, 65 अर्दंडेम्, 98 तालाबों का गहरीकरण किया गया है, इसी तरह 52 नालों में भू-जल संवर्धन और भू-जल संरक्षण के लिए संरचनाएं निर्मित की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भारत माला परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित रायपुर-विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व में केशकाल एवं कांकर वनमंडल के लगभग 64 वन क्षेत्र तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा चिन्हंकित इन्द्रावती-उदन्ती-सीतानदी-सुनाबेड़ा टायगर कॉरिडोर के 7 वन कक्षों से गुजरने वाले लगभग 3.5 किलोमीटर राजमार्ग में प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए अनुमति दी गई। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। इस तरह भोपालपटनम से जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चिंतावागु नदी पर नवीन पुल निर्माण की अनुमति दी गई। यह प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इस नवीन पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर जोन के 1.177 हेक्टेयर रकबे के अंतर्गत आता है। बैठक में सूरजपुर के ग्राम नेवारी पारा से ग्राम खोड़ में विद्युतीकरण हेतु 0.35 हेक्टेयर वन भूमि और सूरजपुर के ग्राम टमकी से कोटवारीपारा तक 5.148 कि.मी. विद्युतीकरण करने हेतु 0.88 हेक्टेयर के व्यपवर्तन, लक्ष्मीपारा ग्राम पंचायत शोभा में 11 केन्ही विद्युत लाईन विस्तारीकरण, राजापड़वा क्षेत्र के शुक्लाभाठा से झोलावाव तक तथा केरापारा से भाठापानी में 11 केन्ही विद्युत लाईन विस्तारीकरण, ग्राम लिलाज में विद्युतीकरण कार्य हेतु पुनओसी, फरसेगढ़-पिल्लूर-सेण्ड्रा-चेरपल्ली मार्ग का डी.जी. पी.एस सर्वे कार्य की अनुमति दी गई। इस मार्ग पर छत्तीसगढ़ की सीमा पर इन्द्रावती नदी पर एक सेतु तथा छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना है।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### कृषक धान बिक्री के पूर्व अपने पंजीकृत बचत खाते में लेनदेन करके खाते को करार्य सक्रिय

रायगढ़। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केंद्रीय बैंक ने किसानों से कृषक धान बिक्री के पूर्व अपने पंजीकृत बचत खाते में लेनदेन करके खाते को सक्रिय क्रियाशील कराने हेतु आग्रह किया है, ताकि उनके बैंक खाते में धान विक्रय की राशि का अंतरण सुगमतापूर्वक किया जा सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य पर धान उपाजर्जन योजनाअंतर्गत विपणन संघ के एजेंट के रूप में सहकारी समितियों द्वारा धान क्रय किया जा रहा है। समितियों द्वारा प्रतिदिन धान खरीदी का विवरण एवं भुगतान हेतु फाईल एनआईसी को भेजा जाता है। कृषकों से क्रय किये गये धान की राशि का विवरण एनआईसी द्वारा बैंक को प्रेषित की जाती है। बैंक द्वारा किसानों के बचत खातों में धान खरीदी की राशि की जानकारी पीएफ एमएस नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। पीएफएमएस द्वारा डाटा सत्यापन पश्चात किसानों को राशि भुगतान हेतु टीसीएस को प्रेषित किया जाता है तथा टीसीएस द्वारा किसानों को भुगतान हेतु उनके खाते में राशि जमा की जाती है। इतनी प्रक्रिया होने के पश्चात कुछ किसानों के खाते निष्क्रिय या अक्रियाशील होने के कारण धान खरीदी राशि उनके खाते में ऑनलाईन के माध्यम से जमा नहीं हो पाती है। जिसके कारण बैंक द्वारा भुगतान हेतु उस किसान का प्रेषित फाईल असफल हो जाता है, जिसे पुनः भुगतान कराने हेतु फिर से एनआईसी से फाईल मंगाना पड़ता है।

### जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक 21 दिसम्बर को

रायगढ़। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक 21 दिसम्बर 2022 को पूर्वाह्न 11.45 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

### रायपुर से गोवा जाने वालों के लिए खुशखबरी, 7 जनवरी से शुरू हो रही फ्लाइट



रायपुर (आरएनएस)। रायपुर से गोवा के लिए सीधी उड़ान का लम्बी समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। नए साल में इंडिगो इस रूट में सीमांत दे रही है। रायपुर से गोवा के लिए 7 जनवरी से विमान सेवा शुरू हो रही है। इंडिगो ने संचालन का ठेका ड्यूल् जारो कर दिया है। रायपुर से गोवा के बीच संचालित होने वाली इस हवाई सेवा में यात्री कोच तक का सफर कर सकते हैं। नए साल से प्रदेश के हवाई यात्रियों को अब गोवा जाने-आने के लिए दो उड़ानों का विकल्प उपलब्ध होगा। एक फ्लाइट डायरेक्ट गोवा- रायपुर सेक्टर में उपलब्ध होगी तथा दूसरी फ्लाइट रायपुर से इंदौर होते हुए गोवा के लिए उपलब्ध होगी। नई फ्लाइट के शुरू होने के साथ रायपुर से गोवा की दूरी सिर्फ दो घंटे में ही तय हो जाएगी। इंडिगो 6 ई 885 - रायपुर से 18.40 बजे, गोवा 20.40 बजे, गोवा से 21.10 बजे, कोच्चि 22.30 बजे।

## नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित



रायगढ़। 18 दिसंबर संत बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर नशामुक्ति हेतु गठित भारत माता वाहिनी समूह का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर जानकी काटजू की अध्यक्षता में मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान अंतर्गत 176 गठित भारत माता वाहिनी के सदस्यों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 250 से अधिक भारत माता वाहिनी समूह से जुड़ी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला के दौरान नशामुक्ति के क्षेत्र में

## धान खरीदी महाभियान : किसानों से अब तक 58 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

राज्य के 14.66 लाख किसानों को 11,640 करोड़ का भुगतान

कस्टम मिलिंग के लिए तेजी से हो रहा धान का उठाव: अब तक 35.77 लाख मीट्रिक टन का हुआ उठाव

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी महाभियान के तहत समर्थन मूल्य पर अब तक 58 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। एक नवम्बर से अब तक धान खरीदी लक्ष्य के विरुद्ध में 50 प्रतिशत से भी अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य के 14.66 लाख किसानों को 11,640 करोड़



रूप का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में मिलर्स द्वारा 35 लाख 77 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2600 उपाजर्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति कि्वंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति कि्वंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आज 19 दिसम्बर को लगभग 57 हजार से अधिक किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है, इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 55 हजार टन से अधिक धान की भी खरीदी हुई है। आगामी दिवस की धान खरीदी के लिए 77,124 टोकन तथा टोकन तुंहर हाथ एप के जरिये 18,269 टोकन ऑनलाइन जारी किए गए हैं।

## त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन: समय-अनुसूची कार्यक्रम जारी

रायगढ़। छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के अंतर्गत परिशिष्ट में उप निर्वाचन हेतु जिला/जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अपेक्षा अनुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम)जारी किया गया है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर 2022 को प्रातः 10.30 बजे से किया गया है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2022 अपरान्ह 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)करने की तिथि 24



## वार्ड क्रमांक 27 पार्षद उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय संपरीक्षक नियुक्त

रायगढ़। छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के परिपालन में नगर पालिका निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद पद के उप निर्वाचन व्यय सीमा का प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन एवं गोपाल सिंह मण्डावी जिला कोषालय अधिकारी रायगढ़ को नोडल नियुक्त करते हुए इनके मार्गदर्शन में कार्य करने हेतु नगर पालिका निर्वाचन व्यय संपरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें सहा.संपरीक्षक उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायगढ़ सरोज किशोर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक बनाये गये हैं।

## मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलाईगढ़ प्रवास पर

भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से होंगे रूबरू

सारांगढ़-बिलाईगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सारांगढ़-बिलाईगढ़ आवेंगे। वे अपने प्रवास में बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत आम जनता से रूबरू होकर शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे। प्रोटोकॉल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 दिसम्बर मंगलवार को भटगांव तहसील के सरसीवा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री 20 दिसम्बर को बलौदा बाजार जिले के सोनाखान से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 2.20 बजे हेलीपैड स्थल सरसीवा पहुंचेंगे। घर भोजन करेंगे। दोपहर 3.00 बजे वे सरसीवा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपरान्ह 4.35 बजे भेंट मुलाकात के पश्चात वे हेलीकॉप्टर से बिलाईगढ़ के लिए रवाना होंगे। अपरान्ह 4.45 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन बिलाईगढ़ हेलीपैड पर होगा। वे यहां रेस्ट हाउस बिलाईगढ़ में शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों, समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे एवं बिलाईगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे।



## जिले के 772 तेंदूपत्ता संग्रहकों को प्रदाय किया गया 8 करोड़ से अधिक की राशि

तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए मजबूत आधार बना शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना

रायगढ़। शासन निरंतर ग्रामीण आजीविका को संबल और सामाजिक सुरक्षा को केंद्रित कर कार्य योजना बना रही है। इसी दूरदर्शिता का परिणाम है, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना जहां शासन समर्थन मूल्य पर संग्रहकों से तेंदूपत्ता खरीद रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी उठा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना 05 अगस्त 2020 को लागू किया गया। योजना से आज ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्रहक परिवारों को मुश्किल वक्त में सहायता देने का कार्य कर रही है। जब किसी कारणवश परिवार के मुखिया की दुर्घटना अथवा अकाल मृत्यु होने की स्थिति में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था, लेकिन अब योजनाओं से मुश्किल समय में परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। डीएफओ सुश्री स्टालो मंडावी ने बताया कि शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता के पंजीकृत संग्रहक परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु 18 से 50 वर्ष की उम्र में सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित उतराधिकारी को 2 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता राशि देने का

50 से 59 वर्ष के बीच में सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित उतराधिकारी को 30 हजार रुपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75 हजार रुपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपये की सहायता अनुदान प्रदान की जाने की प्रावधान है। इसी प्रकार संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है, जिसमें 18 से 60 वर्ष तक तेंदूपत्ता संग्रहक परिवार के मुखिया को छोड़कर परिवार के अन्य पंजीकृत सदस्य की इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 12 हजार रुपये की दाना राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में राशि 2 लाख अतिरिक्त रूप से दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 01 लाख रुपये की सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पंजीकृत संग्रहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को

